

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तित्वगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल शिड्डी केवल आवासीय योजना  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 665 दिनांक 10/08/2020

पार्श्वगत ① अमरी रज्जु गली एवं ② ब्रह्म मण्डपुर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8342/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/858, 859

दिनांक 10/08/2020 को जमा करा दी हैं ।

P.No: 19/600 चौपासनी  
डाइनिंग बोर्ड

10/11/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

जी+1  
आवासीय

